

27-05-25

पत्रावली पेश हुई 1 पैरोकार राज एवं वकील  
प्रतिवादी की बख्त पर मनन करने एवं पत्रावली  
का अवलोकन काने पर वादी का वाद स्वीकार  
योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।  
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न  
किया गया। पत्रावली बाद तद्दीर्घ तकमील होकर  
शाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

R.A.S.  
27-05-25  
(किरण पाल)  
R.A.S.